कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 1028 **दिनांकः–** 22.8.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– गिरिडीह जिलान्तर्गत मौजा–खापेबेरा, पीरटांड़ में 33/11 के0वी0 सब–स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/JH/VELEC/34134/2018 कुल–0.5139 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह का पत्रांक 607 दिनांक 05.07.2019 एवं पत्रांक 783 दिनांक 16.08.2019

महाशय,

प्रांसगिक पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना **FP/JH/VELEC/34134/2018 33/11** K.V सब–स्टेशन निर्माण हेतु कुल 0.5139 हे0 मात्र अधिसूचित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के समीक्षा के क्रम में कतिपय कमियां/त्रुटियां परिलक्षित हुई थी अतः इसके निराकरण हेतु इस कार्यालय का पत्रांक 885 दिनांक 01.08.2019 द्वारा पृच्छा की गई थी। तदोपरान्त वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह के पत्रांक 783 दिनांक 16.08.2019 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा हे0 में	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा हे0 में	कुल रकबा हे0 में	वनस्पति घनत्व
1	गिरिडीह पूर्वी	0.5139	**शून्य**	0.5139	**0.4**

2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दर्ज है। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबा निम्नवत् है :–

Sl.	Name of Village/Mouja	Thana & Thana No.	Plot No.	Protected Forest area in ha
1	**Khapebera**	**Pirtand/99**	**58**	**0.5139**

3. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट–III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है।
4. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
5. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
6. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ग्रिड सब–स्टेशन का लोकेशन दिखाते हुए संलग्न है। अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी के पार्ट–II में दर्ज प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या **27** है, वृक्षों की प्रजातिवार एवं Girth-wise गणना सूची संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 1788 दिनांक 09.08.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि में अवस्थित 27 वृक्षों में से मात्र 20 वृक्षों का ही पातन किया जायेगा। इस प्रकार प्रति हे0 पातित होने वाले वृक्षों की संख्या 50 से कम है।
8. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त, गिरिडीह का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी ने अपने पत्रांक 2295 दिनांक 03.08.2019 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से मांग की गई है जो अभीतक अप्राप्त है। इस हेतु पुनः क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया जा रहा है प्राप्त होने पर अलग से भेजा दिया जायगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
10. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के ***पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 16.06.2011*** के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है। कि ***"compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted in accordance with the said general approval shall not be insisted upon"***
11. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है परन्तु वन प्रमंडल पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी ने अपने पार्ट–II के कंडिका 8 के उप कंडिका (IV) में अंकित किया है कि प्रस्तावित वन भूमि पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी से 01 किमी के दूरी पर अवस्थित है।
12. CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
13. वन प्रमंडल पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी ने अपने पार्ट–II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में अंकित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का violation नहीं किया गया है।
14. प्रस्तावित वन भूमि गिरिडीह जिला में अवस्थित है। भारत सरकार के पत्रांक F.No. 11-9/98-FC दिनांक 13.05.2011 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के तहत् यह जिला L.W.E. के रूप में संसूचित है।
15. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है, जिससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 0.5139 हे0 वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

मूल प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

CONSTRUCTION OF POWER SUB-STATION 33/11 KV UNDER DDUGJY AT KHAPEBERA 0.5139 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 0.5139 ha. Forest land.

Date :- 22.08.2019

Place :- Ranchi.

Signature

22.8.2019

(SHASHI NANDKEOLYAR)
Nodal Officer
Name & Designation.

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)